फोन न0—0522—2620980
2622458

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)
10—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ—226001

दिनांक : 12.12.2011

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा जारी अनुस्मारक दिनांक 01.12.2011 में पुनः अवगत कराया गया है कि हज—2011 के ऐसे हज यात्री जिनका चयन हो गया था और उन्होंने धनराशि हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई के खाते में जमा कर दी है उनकी धनराशि वापसी का कार्य आरम्भ हो गया है। अतः हज—2011 के हज यात्रियों को सूचित किया जाता है कि जो हज यात्री किन्हीं कारणों से हज पर नहीं जा सके थे तथा उन्होंने धनराशि हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई के खाते में जमा करायी थी या ऐसे हज यात्री जिनकी यात्रा किसी बीमारी या मृत्यु के कारण निरस्त हो गयी थी, ऐसे सभी हज यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी जमा धनराशि की पे—इन—स्लिप, यदि बीमारी/मृत्यु के कारण यात्रा निरस्त करायी गयी है तो चिकित्सा/मृत्यु प्रमाण पत्र भी एक आवेदन पत्र के साथ हज कमेटी आफ इण्डिया के पते हज हाउस, 7—ए, एम0आर0ए0 मार्ग, पल्टन रोड, मुम्बई—200001 पर तुरन्त भेज दें जिसकी कॉपी राज्य हज समिति उ0प्र0 को भी उनके पते 10, विधान सभा मार्ग, लखनऊ पर उपलब्ध करा दें, ताकि उसे हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई को अग्रसारित किया जा सके और सम्बन्धित यात्री की धनराशि उसे वापस मिल सके।

इसके अतिरिक्त हज—2011 के लखनऊ एम्बारकेशन पर वापस आने वाले जिन हज यात्रियों का सामान छूट गया था उनका सामान हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ में रखा गया है, ऐसे समस्त हज यात्री जिन्होंने अभी तक अपना सामान नहीं प्राप्त किया है वह फोन नं0 8953854195 व 8953853940 पर सम्पर्क कर दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 तक अपना सामान अवश्य प्राप्त करलें इस तिथि के बाद सामान उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी हज समिति की न होगी।

सचिव,

उ0प्र0 राज्य हज समिति